20 जून, 2025

शुद्धि पत्र - भारत, मुंबई में "मुद्रा प्रबंधन अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए परामर्श और परियोजना प्रबंधन सेवाओं की खरीद" के लिए सीमित प्रस्ताव अनुरोध

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुद्रा प्रबंध विभाग, केंद्रीय कार्यालय ने उपर्युक्त विषय पर ई-निविदा संदर्भ संख्या- RBI/DCM-Central Office Departments/Others/2/25-26/ET/70 आमंत्रित किया था, जिसे 2 मई 2025 को एमएसटीसी पोर्टल और भारतीय रिज़र्व बैंक (www.rbi.org.in) वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। उक्त से संबंधित निविदा-पूर्व बैठक व स्पष्टीकरण तथा शुद्धिपत्र 6 जून 2025 को जारी किया गया था।

2. इस संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि आरएफपी दस्तावेज़ के कुछ खंडों में निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं:

आरएफपी दस्तावेज़ का खंड व पैरा सं.	मौजूदा खंड	संशोधित/ नया खंड
3.7 ix. वाणिज्यिक बोली प्रस्तुति	कोई विवरण नहीं है।	निविदाकार को ई-टेंडर HTML प्रारूप में "कुल लागत (भाग I + भाग II) (करों को छोड़कर)" [फॉर्म एस में क्रम संख्या 4] जमा करना होगा, साथ ही एमएसटीसी पोर्टल पर दस्तावेज़ अपलोड चेकलिस्ट के भाग के रूप में 'मूल्य कवर विकल्प' के अंतर्गत विधिवत भरा हुआ 'फॉर्म एस - वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के लिए फॉर्म' अपलोड करना होगा। HTML प्रारूप में उल्लिखित कुल

		लागत (भाग I + भाग II) (करों को छोड़कर) और 'फॉर्म एस (मूल्य कवर के तहत प्रस्तुत)' के बीच विसंगति के मामले में, फॉर्म एस (मूल्य कवर के तहत प्रस्तुत) में उल्लिखित कुल लागत (भाग I + भाग II) (करों को छोड़कर) मान्य होगी।
3.10.3. बोली प्रक्रिया viii.	ध्यानार्थ: निविदा-पूर्व बैठक के उपरांत एमएसटीसी पोर्टल पर एक्सेल प्रारूप में वाणिज्यिक बोली फॉर्म बैंक द्वारा अपलोड की जाएगी, ताकि शुद्धिपत्र के कारण यदि कोई परिवर्तन हुआ हो तो उसे शामिल किया जा सके।	इस खंड को डिलीट कर दिया गया है।

आरएफपी दस्तावेज़ के अन्य सभी प्रावधान व नियम तथा शर्तें यथावत हैं।

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

मुद्रा प्रबंध विभाग